न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 146/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांकः 21.07.2022

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. मोडू लाल आयु 60 वर्ष आ० भूरा जाति गुर्जर निवासी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी।
2. सीताराम आयु 55 वर्ष आ० भूरा जाति गुर्जर निवासी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी।

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. उषा देवी आयु 58 वर्ष पत्नी प्रहलाद जाति खटीक निवासी रामलीला मैदान के पास नयापुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी ।

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक – अपीलांट्स
श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 26.03.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा प्रकरण संख्या 41/प्रा.पत्र/2020 उनवान उषा देवा बनाम मोडू लाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र धारा 128 राज० लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 596 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा सं0 597 रकबा 1.90, खसरा नं0 598 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज में स्थित है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 14.7.2019 को करवाया था। अपीलान्टस (अप्रार्थीगण) सीमा चिन्ह अंकित करने में व्यवधान पैदा करते है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर खसरा सं0 597 रकबा 1.90 है0 कृषि भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक सीमाचिन्ह का अंकन करवार

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 क्र0 1 का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार कर निर्णय दिनांक 10.05.2022 से आदेशित किया कि तहसीलदार, इंद्रगढ़ भू.अभि. निरीक्षक व पटवारी हल्का के साथ एक दल गठित कर प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 597 रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम लाखेरी का पुनः सीमाज्ञान करवायें तथा मौका सीमांकन समय उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे तथा उभयपक्ष की सहमत होने पर पत्थरगढ़ी सीमा चिन्हित अंकित किये जावे।

2. अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का तथाकथित निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.05.2022 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि–विधान व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित पारित किये जाने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय पारित करने से पूर्व रेस्पोन्डेंट सं0 1 के खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 597 व अपीलान्ट के खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 587 की मौका स्थिति बाबत मौका रिपोर्ट तहसीलदार सा० इन्द्रगढ से मंगवाये बिना ही विधिवत प्रक्रिया को नजरअन्दाज करते हुए केवल मात्र रेस्पोन्डेंट सं० 1 के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर तथाकथित निर्णय दिनांक 10.05.2022 को अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये जाने में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी कानूनी त्रुटि की है। रेस्पोन्डेंट सं0 1 के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में उसके खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 597 के अपीलान्ट के अलावा अन्य खसरा नंबर 584, 586, 592, 593, 596, 598, 599 के पड़ोसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि धारा 128 राज० ले०रे० एक्ट के तहत पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाना व उन्हे सुना जाना आज्ञापक है। लेकिन फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना मात्र कयास के आधार पर अपना निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय–पक्षों की बहस अन्तिम नही सुनी व साक्ष्य सबूत रिकोर्ड पर लिये बिना ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.05.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय पारित करने से पूर्व रेस्पोन्डेंट सं0 1 के खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 597 व अपीलान्ट के खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 587 की मौका स्थिति बाबत मौका रिपोर्ट तहसीलदार सा० इन्द्रगढ से मंगवाये बिना ही विधिवत प्रक्रिया को नजरअन्दाज करते हुए केवल मात्र रेस्पोन्डेंट सं० 1 के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर तथाकथित निर्णय दिनांक 10.05. 2022 को अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किया गया है। रेस्पोन्डेंट सं0 1 के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में

2025
आति० ... अ...
कोटा

उसके खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 597 के अपीलान्ट के अलावा अन्य खसरा नंबर 584, 586, 592, 593, 596, 598, 599 के पड़ोसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। जबकि धारा 128 राज० ले०रे० एक्ट के तहत पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाना व उन्हे सुना जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.05.2022 को पारित किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 1 वर्ष पुरानी थी, ऐसी स्थिति में पुनः रिपोर्ट मंगवायी जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.05.2022 को निरस्त किया जाकर सभी खातेदारान की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRD 14-05-2017 Page 289 पेश किये।

5. रेस्पो0 क्र. 1 अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि खसरा नं0 596 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा सं0 597 रकबा 1.90, खसरा नं0 598 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज में स्थित है, जो रेस्पो0 क्र0 1 के खाते की भूमि है। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ के द्वारा सीमाज्ञान हेतु टीम गठित की तथा पटवारी हल्का ने सीमाज्ञान किया। पड़ौस के खातेदारों के हस्ताक्षर करवाये गये है तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट पर ही पुनः पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाया गया तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही निर्णय पारित किया गया है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र धारा 128 राज० लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 596 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा सं0 597 रकबा 1.90, खसरा नं0 598 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज में स्थित है। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 14.7.2019 को करवाया था। अपीलान्टस (अप्रार्थीगण) सीमा चिन्ह अंकित करने में व्यवधान पैदा करते है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर खसरा सं0 597 रकबा 1.90 है0 कृषि भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक सीमाचिन्ह का अंकन करवार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 क्र0 1 का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार कर निर्णय दिनांक 10.05.2022 से आदेशित किया कि तहसीलदार, इंद्रगढ़ भू.अभि. निरीक्षक व पटवारी हल्का के साथ एक दल गठित कर प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 597 रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम लाखेरी का पुनः सीमाज्ञान करवायें तथा मौका सीमांकन समय उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे तथा उभयपक्ष की सहमत होने पर पत्थरगढ़ी सीमा चिन्हित अंकित किये जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में उसके खाते की कृषि भूमि

खसरा नं0 597 के अपीलान्ट के अलावा अन्य खसरा नंबर 584, 586, 592, 593, 596, 598, 599 के पड़ोसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। जबकि धारा 128 राज० ले०रे० एक्ट के तहत पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाना व उन्हे सुना जाना आज्ञापक है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराने का आदेश दिया है तथा उभयपक्ष की सहमति पश्चात् ही पत्थरगढ़ी किए जाने हेतु आदेशित किया है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराए जाने तथा सहमति पश्चात् ही पत्थरगढी कराए जाने से निर्णय में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2022 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

26/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा